UPCH010029232022

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट

दाण्डिक निगरानी संख्या–38/2022

रामबदन उम्र 38 वर्ष पुत्र स्व0 छेदीलाल निवासी ग्राम बरगढ थाना बरगढ तहसील मऊ जनपद चित्रकूट

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. चुनकू पुत्र धनपद
2. रामप्रकाश उम्र 50 वर्ष पुत्र चुनकू(मृतक)

2/1 विजय कुमार पुत्र चुनकू उम्र 26 वर्ष निवासीगण ग्राम भारतपुर गाहुर थाना बरगढ तहसील मऊ जनपद चित्रकूट।

3. राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम मडहा थाना बरगढ तहसील मऊ जनपद चित्रकूट।
4. सुनीता देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी जगजाहिर निवासी ग्राम डोडियामाफी थाना बरगढ तहसील मऊ जनपद चित्रकूट।
5. सरकार

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान उप जिला मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट द्वारा मु0नं0– 2987/2022 अन्तर्गत धारा 145/146 दं0प्र0सं0 मौजा बरगढ थाना बरगढ रामबदन बनाम चुनका आदि में पारित निर्णय दिनॉक 23.09.2022 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2. निगरानी से संबंधित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का वाद योजित किया गया कि प्रथम पक्ष की भूमिधरी व कब्जे की भूमि ग्राम बरगढ थाना बरगढ स्थित गाटा सं0– 971 रकबा 0.0350 व गाटा सं0– 973 रकबा 0.088 के कुछ अंश में जो बरगढ गाहुर रोड के किनारे की कीमती भूमि है उसे द्वितीय पक्ष जबरियन बल का प्रयोग करके पत्थर ईटा मौरम बालू इकट्ठा करके निर्माण कार्य करने पर अमादा हो रहे हैं। उपरोक्त भूमि पर अवैध निर्माण कार्य करने से द्वितीय पक्ष को मना करने पर निर्माण कार्य नहीं रोक रहे हैं तथा लड़ाई झगडे पर अमादा हो रहे हैं। प्रथम पक्ष की भूमिधरी व कब्जे की भूमि पर अवैध निर्माण कर लेने से उसे अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रथम पक्ष के कब्जे व अधिकार उपरोक्त वाली भूमि पर जबरियन बलपूर्वक अवैध निर्माण कार्य करने से शॉन्ति भंग की प्रबल सम्भावना है। प्रथम पक्ष

की भूमिधरी व कब्जे की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य न रूका तो शान्तिभंग हो सकती है, अतः प्रथम पक्ष की भूमिधरी व कब्जे की भूमि पर द्वितीय पक्ष को जबरियन बलपूर्वक अवैध निर्माण कार्य करने से रोके जाने की कृपा की जाये

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र का संज्ञान लेते हुए संबंधित थाना बरगढ व तहसीलदार मऊ से आख्या आहूत की गयी तथा पक्षों को नोटिस निर्गत की गयी। द्वितीय पक्ष/विपक्षीगण 1 व 2 द्वारा दिनॉक 02.08.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा आपत्ति में कहा गया कि उन्हें गलत पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, जबकि प्रश्नगत आराजी प्रतिवादी नं0–1 के लड़के रामप्रकाश पुत्र चुनकू के नाम रजिस्ट्रीशुदा बैनामा तख्ता प्लाट की रजिस्ट्री है तथा प्रतिवादी नं0–2 की बहन सुनीता देवी पत्नी जगजाहिर के नाम भी बैनामा आवासीय तख्ता प्लाट की रजिस्ट्री है जो कि विक्रेता विश्वनाथ पुत्र भोला निवासी आदर्श कालोनी बरगढ से क्रय की गयी है जो दिनॉक 12.05.2016 को आवासीय हेतु ली गयी है। कुछ कारणवश रजिस्ट्री की दाखिल खारिज नहीं हो सकी है और विक्रेता के नाम अभी भी दर्ज कागजात है परन्तु विश्वनाथ पुत्र भोला जो कि विक्रेता है, उसे हम लोगों के कब्जा दखल पर कोई आपत्ति नहीं है और न ही उसके द्वारा कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय जो कि प्रतिवादी नं0–2 है, गलत ढंग से मुकदमा में प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिवादी नं0–2 बनाया गया है जबकि प्रश्नगत आराजी का आवासीय तख्ता प्लाट का बैनामा श्रीमती सुनीता देवी पत्नी जगजाहिर प्रसाद निवासी डोंडियामाफी ने दिनॉक 12.05.2016 को विक्रेता विश्वनाथ पुत्र भोला निवासी आदर्श कालोनी से लिया। वाद उपरोक्त में प्रथम पक्ष का आराजी प्रश्नगत में कोई कब्जा दखल नहीं है बल्कि जबरन कब्जा कर रहा है। प्रथम पक्ष अपनी खाली भूमि व पीछे घर पर रहता है। बरगढ गाहुर रोड पर स्थित भूमि आराजी प्रश्नगत पर रामप्रकाश पुत्र चुनकू व सुनीता देवी पत्नी जगजाहिर प्रसाद का कब्जा दखल है। प्रश्नगत आराजी में दूखी के वरासत में आये थे। दूखी के दो लड़की थी, एक लड़की के दो लड़के रामबदन व शिवबदन पुत्र स्व0 छेदीलाल व दूसरी लडकी के पास एक लड़का विश्वनाथ पुत्र भोला था। विश्वनाथ से रामप्रकाश व सुनीता ने आवासीय तख्ता प्लाट खरीदा है। प्रश्नगत आराजी में रामप्रकाश द्वारा 16**X** 50 का प्लाट है, शेष में से 16**X** 50 का प्लाट सुनीता देवी ने विश्वनाथ से क्रय किया है, न कि रामबदन से। प्रश्नगत आराजी में वादी/प्रथम पक्ष रामबदन का कोई हिस्सा न मौके पर है, न कोई कब्जा दखल है। प्रश्नगत आराजी पर जो कि पैरा 2 में दिखाया गया है कि

प्रतिवादी द्वारा जबरन ईटा बालू इकट्ठा कर निर्माण कार्य करने पर अमादा है, यह सरासर गलत है बल्कि रामप्रकाश व सुनीता द्वारा रजिस्ट्री में तय भूमि 16**X** 50 पर दोनों लोग अपने अपने रजिस्ट्रीशुदा के हिसाब से घर बना रहे हैं। प्रश्नगत आराजी में रामप्रकाश व सुनीता देवी अपने घर बना रहे थे तो थानाध्यक्ष बरगढ ने एक प्रार्थनापत्र दिनॉक 16.07.2022 को दिया जिसपर दिनॉक 16.07.2022 को रामबदन द्वारा थानाध्यक्ष के यहॉ एक प्रार्थनापत्र समझौता गवाहों के समक्ष किया है जिसपर रामबदन के हस्ताक्षर हैं। आराजी प्रश्नगत पर पैरा नं0–3 में किया गया कथन कि प्रथम पक्ष की आराजी पर अवैध निर्माण कार्य से द्वितीय पक्ष को रोका जाये जबकि प्रथम पक्ष की भूमि पर मकान का निर्माण नहीं किया जा रहा है बल्कि विश्वनाथ पुत्र भोला के आवासीय तख्ता प्लाट से खरीदी भूमि पर निर्माण किया जा रहा है। प्रथम पक्ष की कोई अपूर्णीय क्षति नहीं है। विवादित आराजी के संबंध में प्रथम पक्ष को उपरोक्त वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि पर रामबदन पुत्र स्व0 छेदीलाल का यदि कोई हक व हिस्सा रहा हो तो भी वह रामबदन व शिवबदन द्वारा दिनॉक 26.02.2016 को लक्ष्मीपति तिवारी, हरिओम पाण्डेय, अनुरूद्ध प्रसाद, रामसिया निवासीगण बरगढ व मानिकपुर के हक में बैनामा करके कब्जा दखल दे दिया गया है। विवादित भूमि आराजी प्रश्नगत पर प्रथम पक्ष रामबदन को उक्त बैनामा करने के बाद से कोई वास्ता सरोकार नहीं बनता है। प्रश्नगत आराजी पर बैनामा करने से द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है जो वैधानिक है और उनके निर्माण को रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। रामबदन द्वारा न्यायालय में फर्जी व गलत ढंग से धारा 145/146 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही करके दिनॉक 21.07.2022 को स्थगन का आदेश पारित करा लिया गया है जो कि सर्वथा गलत व अवैधानिक है। प्रश्नगत आराजी निजाई जिसमें कि विश्वनाथ पुत्र भोला से क्रय की गयी है, न कि रामबदन से जिसमें उपरोक्त वाद में द्वितीय पक्ष प्रभावित नहीं है। रामबदन द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा द्वितीय पक्ष को मकान बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परिशीलन करने के उपरान्त यह पाया गया कि संलग्न अभिलेखों में रामबदन पुत्र स्व0 छेदीलाल निवासी ग्राम बरगढ की विवादित आराजी में प्रविष्टि नहीं पायी गयी और न ही विवादित भूमि पर उसका स्वामित्व ही पाया गया अतः विवादित आराजी पर प्रथम पक्ष रामबदन के स्वामित्व व कब्जे की भूमि न पाते हुए प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 145/146 दं0प्र0सं0 को पोषणीय न पाते हुए आदेश दिनॉक

23.09.2022 द्वारा निरस्त कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत निगरानी संस्थित की गयी है।

5. निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा थाना बरगढ की आख्या दिनॉकित 03.08.2022 का अवलोकन नहीं किया गया तथा अपने क्षेत्राधिकार से परे आकर विवादित भूमि पर स्वामित्व संबंधी निर्णय मनमानी तौर पर पारित किया गया है जबकि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख खतौनी ग्राम बरगढ 1427–32 फ0 के खाता सं0– 486 में दर्ज गाटा सं0– 971/0.035हे0, 973/0.088हे0 का भूमि स्वामी बतौर भूमिधर श्रेणी–1 अंकित है और सहखातेदारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है। द्वितीय पक्ष निगरानीकर्ता के न तो सहखातेदार हैं और न उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष बरगढ के समक्ष दिनॉक 16.07.2022 को प्रथम पक्ष द्वारा समझौता होना द्वितीय पक्ष के दबाव में आकर स्वीकार किया गया है जबकि उसके पश्चात दिनॉक 03.08.2022 को थाना बरगढ द्वारा प्रेषित की गयी रिपोर्ट में उक्त समझौते का हवाला न होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा समझौते के आस्तित्व को स्वीकार कर कानूनी भूल किया है। द्वितीय पक्ष चुनकू पुत्र धनपद द्वारा अपने लड़के रामप्रकाश के पक्ष में विश्वनाथ पुत्र भोला जो दोनों ऑखों से अन्धा होना एवं उससे बैनामा लिया जाना स्वीकार किया है किन्तु उसपर दर्शायी गयी चौहद्दी में प्रथम पक्ष का मकान बना है। द्वितीय पक्ष नं0–2 राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय द्वारा अपनी बहन सुनीता देवी के पक्ष में बैनामा लिया जाना स्वीकार किया है जबकि सुनीता देवी जाति ब्राह्मण है और विक्रेता विश्वनाथ अनुसूचित जाति का है जो बिना कानूनी अनुमति के बैनामा कराया जाना अवैधानिक है। विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि दिनॉक 26.02.2016 को लक्ष्मीपति तिवारी आदि के पक्ष में बैनामा किया जाना स्वीकार किया है जबकि वास्तव में लक्ष्मीपति आदि का बैनामा बिना अनुमति के होने के कारण व अवैध घोषित होने के कारण लक्ष्मीपति तिवारी आदि का कब्जा व स्वामित्व विवादित भूमि पर नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष विक्रेता विश्वनाथ ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत करके कथन किया है कि विवादित भूमि का बैनामा शपथकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। जो चौहद्दी बैनामा में दर्शायी गयी है उसमें निगरानीकर्ता/रामबदन का कब्जा है। शपथकर्ता विश्वनाथ दोनों आखों से अन्धा होने के कारण नाजायज फायदा उठाकर बैनामा कराया गया है। प्रथम पक्ष की मॉ व विश्वनाथ की मॉ सगी बहने हैं तथा आपसी विभाजन में ग्राम बरगढ स्थित गाटा

सं0– 971 व 973 पर बना मकान व भूमि प्रथम पक्ष को और आदर्श कालोनी बरगढ की भूमि व मकान विश्वनाथ को दिया गया है लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य की विवेचना किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की पूर्ण विवेचना नहीं की गयी और प्रथम पक्ष को अपना पक्ष साबित करने हेतु साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और न ही द्वितीय पक्ष से जिरह करके अथवा अन्य प्रकार से खण्डन का पर्याप्त अवसर दिया गया, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करके विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 23.09.2022 को निरस्त किया जाये।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी कागज संख्या–07 फसली वर्ष 1427–1432(01 जुलाई 2019 से 30 जून 2025) दिनॉकित 16.07.2022 में यह उल्लिखित किया गया कि *''1427फ–आदेश श्रीमान न्याया0 तह0 मऊ, चित्रकूट मु0नं0–टी–201707195402678 रिपोर्ट लेखपाल बनाम दूखी आदेश दिनॉक 12.03.2020 के अनुसार आदेश हुआ कि मौजा बरगढ की खतौनी व वर्ष 1421–1426फ के खाता सं0– 308 पर दर्ज मृतक खातेदार दूखी के स्थान पर दर्ज वरासत आदेश दिनॉकित 28.03.2016 निरस्त कर तत्क्रम में नवनिर्मित खतौनी वर्ष 1427–1432फ के खाता सं0– 486 संशोधित करते हुए मृतक दूखी के दर्ज वारिसों के स्थान पर उनके जायज व कानूनी वारिस रामबदन व शिवबदन पुत्रगण छेदीलाल निवासी बरगढ तहसील मऊ जनपद चित्रकूट व विश्वनाथ पुत्र भोला निवासी बरगढ तहसील मऊ जिला चित्रकूट का जरिये वरासतन संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हो तथा खाते में दर्ज मृतक सूखी के वारिसान मृतक दूखी के जायज वारिसों के साथ यथावत दर्ज रहेगें. ह.र.का.12.03.2020'.''* इसके अतिरिक्त पत्रावली पर लेखपाल आख्या दिनॉकित 28.07.2022 कागज संख्या– 10 में राजस्व ग्राम बरगढ तहसील मऊ जनपद चित्रकूट की वर्तमान खतौनी सन् 1427–32 में खाता संख्या– 486 गाटा संख्या– 971/0.035 व 973/0.088 में रामबदन व शिवबदन पुत्रगण छेदीलाल निवासी ग्राम व विश्वनाथ पुत्र भोला नि0ग्रा0 को सहखातेदार दर्ज कागजात होना बताया गया है। अतः राजस्व अभिलेख उद्धरण खतौनी कागज सं0–07 जो दिनॉक 16.07.2022 को जारी की गयी है तथा दिनॉक 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2025 तक है, में निगरानीकर्ता/वादी का नाम

सहखातेदार के रूप में दर्ज है तथा लेखपाल आख्या दिनॉकित 28.07.2022 के द्वारा भी निगरानीकर्ता/वादी को सहखातेदार के रूप में दर्ज कागजात होना बताया गया है जबकि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में निगरानीकर्ता/वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में न होने के आधार पर विवादित भूमि पर उसका स्वामित्व न मानकर धारा 145, 146 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही निरस्त की है। इससे स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का भलीभॉति परिशीलन न करके सरसरीतौर पर यांत्रिक तरीके से बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये निगरानीकर्ता/वादी का विवादित भूमि में स्वामित्व न मानकर विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनॉकित 23.09.2022 अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण है तथा निरस्त किये जाने योग्य है तथा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत **दाण्डिक निगरानी सं0–38/2022 रामबदन बनाम चुनकू व अन्य** स्वीकार की जाती हैं तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनॉकित 23.09.2022 एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ वापस करते हुए विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय में किये गये संप्रेक्षण (observation) के आधार पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी, चित्रकूट को अवलोकनार्थ एवं संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित की जाये।

दिनॉक–19.07.2024

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश
चित्रकूट।
आई0डी0–यू.पी.1910

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनॉकित एवं हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

दिनॉक–19.07.2024

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश
चित्रकूट।
आई0डी0–यू.पी.1910